प्रकरण संख्या 01/2016
बनाम

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वकील चन्द जाति
अरोड़ा निवासी ग्राम कोठा तहसील
श्री गंगानगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा6 ए राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः—
1. विभागीय पैरोकार जरिये स्टेट
2. श्री भारत भूषण नागपाल एडवोकेट जरिये अप्रार्थी

दिनांक 17/10/17

।। निर्णय।।

1. दिनांक 9.10.16 को एस.एच.ओ. हिन्दुमलकोट से मोबाईल पर कोठा गांव में गैस सिलेण्डर व केरोसीन के अवैध विक्रय की सूचना प्राप्त होने श्री संदीप गौड़, प्रवर्तन अधिकारी, श्री गंगानगर हमराह श्री राकेश सोनी, प्रवर्तन अधिकारी, घड़साना ग्राम कोठा में जांच की गई। मौके पर मरूधरा ग्रामीण बैंक, कोठा के पास स्थित सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वकील चन्द की दुकान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वकील चंद, उम्र 58 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी ग्राम कोठा उपस्थित मिला जिसके द्वारा स्वयं को इस दुकान का मालिक होना बताया गया तथा दुकान पर मदद हेतु उनका पुत्र अनिल कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार उम्र 35 वर्ष भी मौजूद था व जांच दल द्वारा सुरेन्द्र कुमार व मौके के दो गवाहों की उपस्थिति में ही दुकान व दुकान के साथ व पीछे स्थित गोदाम की जांच की गई। दुकान के साथ बने गोदाम में 13 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर रखे मिले व दुकान के पीछे स्थित गोदाम में प्लास्टिक के केन्स रखे मिले जिसके सम्बन्ध में सुरेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि इसमें डीजल व पेट्रोल रखा हुआ है। निरीक्षण करने पर तीन प्लास्टिक केन क्षमता 60, 30 व 30 लीटर में कमशः 60:30:30 कुल 110 लीटर डीजल रखा होना पाया गया व 1 प्लास्टिक केन क्षमता 35 लीटर में 25 लीटर पेट्रोल रखा मिला। इसके साथ ही चार प्लास्टिक केन, दो नाप (क्षमता 10 व 5 लीटर) व दो लोहे की कीप तथा 4 चार घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर (खाली) बोरियों से ढक कर रखे हुये मिले। इस प्रकार से दुकान/गोदाम से बरामद सिलेण्डर की संख्या 17 हो गई। दुकानदार की जानकारी पर ग्राम कोठा वार्ड नं0 6 स्थित उसके घर की जॉच उसकी व दो गवाहों की उपस्थिति में की गई। बरवक्त निरीक्षण में घर में मेन गेट के पास बने कमरे में 11 (ग्यारह) घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर रखे मिले व घर में ही मेन गेट के सामने बने गोदाम रूपी कमरे में दो लोहे के ड्रमों में केरोसीन रखा होना पाया गया जिसे सुरेन्द्र कुमार द्वारा उपभोक्ताओं से खरीद कर रखा था। दोनों ड्रमों में 200—200 कुल 400 लीटर केरोसीन रखा मिला। घर की रसोई व बाथरूम में बी.पी.सी. का एक एक सिलेण्डर गैस गीजर से जुड़ा मिला, जिस पर सुरेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि उनका संयुक्त परिवार है जिसमें उनके दो पुत्र व उनके पिता रहते है।, उसके द्वारा परिवार के पास चार घरेलू गैस कनैक्शन होने बताये गये जिसके साक्ष्य में चार ब्ल्यू बुक (3बी.पी.सी. व 1 इण्डेन कंपनी) की प्रस्तुत की गई जिनकी तस्दीक में चारों कनैक्शन डी.बी.सी. होने पाये। भारत कंपनी के सिलेण्डर रसोई व.बाथरूम में प्रयुक्त होने तथा इण्डेन के सिलेण्डर दुकान में रखे होने बताये गये। जांच के दौरान दुकान व घर पर मिले सिलेण्डरों में भारत कंपनी सिलेण्डरों की संख्या 16 (10 भरे व 6 खाली) इण्डेन कंपनी सिलेण्डरों की संख्या 9 (2 भरे व खाली) रही। इन सभी 28 घरेलू एलनपीजी सिलेण्डरों में से 6 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर सुरेन्द्र कुमार के स्वयं के कनैक्शन वाले मौके पर अलग कर उसे सुपुर्द कर दिये गये। शेष 22 सिलेण्डरों के संबंध में पूछने पर सुरेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया यह सिलेण्डर ग्रामवासियों के हैं तथा उनके भरवाने के लिये उसके पास छोड़ दिये जाते हैं परंतु इसको साबित करने हेतु उसके द्वारा मौके पर किसी प्रकार का कोई वैध साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। सुरेन्द्र कुमार द्वारा विकय के लिये भण्डारित उसकी दुकान व घर से बरामद 22 गैस सिलेण्डर (15सील बंद व 7 खाली), 110लीटर डीजल व 25 लीटर पेट्रोल (मय 4 प्लास्टिक केन 2 लोहे की कीप व 2 नाप, 10 व 5लीटर क्षमता) तथा 2 ड्रमों में कुल 400 लीटर नीले केरोसीन को विकय व भण्डारण संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण अवैध भण्डारित मानकर जब्त कर लिया

NO.250

मौके पर जब्त किये 22 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर (16 बी पी सी, 3 इण्डेन व 3 पी-जिसमें 15 भरे व 7 खाली) , 400 लीटर नीला केरोसीन (मय दो लोहे के ड्रम), लीटर डीजल व. 25 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक केन, 02 लोहे की कीप व 02 नाप, व 5 लीटर क्षमता) को सुपुर्दगीनामा तैयार कर श्री सुभाष चंद्र पुत्र श्री हजूर सिंह उम्र वर्ष जाति अरोड़ा निवासी कोठा की सुपुर्दगी में दिया गया। चूँकि उक्त माल पेट्रोलियम क्टस की श्रेणी का होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत 22 घरेलू एल.पी.जी. गैस लेण्डर (16 बीपीसी, 3 इण्डेन व 3 एचपी– जिसमें 15 भरे व 7 खाली) श्री प्रेम कुमार पुत्र नी लाल उम्र 39 वर्ष जाति मेघवाल मैनेजर, मैसर्स जय हनुमान इण्डेन ग्रामीण वितरक, ड़ी, श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में तथा 400 लीटर नीला केरोसीन (मय दो लोहे के ड्रम) लीटर डीजल व 25 लीटर पेट्रोल (मय 4 प्लास्टिक केन, 2 लोहे की कीप व 2 नाप, व 5 लीटर क्षमता) को श्री संतोष सिंह दलीप सिंह उम्र 28 वर्ष जाति राय सिख उचित व दुकानदार ग्राम पक्की श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया।

बाद जॉच प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश या जाकर निवेदन किया गया कि श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वकील चंद द्वारा बिना किसी अनुज्ञा पत्र के गैस सिलेण्डर्स, डीजल, पेट्रोल व केरोसीन आदि के क्रय, विक्रय तथा डारण संबंधी कार्य करके राजस्थान सरकार के राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस सेसिंग व कंट्रोल) आदेश 1990 के क्लोज 3 व **LPG (REGULATION OF SUPPLY D DISTRIBUTION) ORDER 2000** के क्लाज 3,4,6 व 7 तथा राजस्थान खाद्यान एव आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की स्पष्ट हेलना की है। अतः सीज शुदा 22 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर (16 बीपीसी, 3 न व 3 एचपी– जिसमें 15 भरे व 7 खाली) 400 लीटर नीला केरोसीन (मय दो लोहे के 110लीटर डीजल व 25 लीटर पेट्रोल (मय4 प्लास्टिक केन, 2 लोहे की कीप व 2 10 व 5 लीटर क्षमता)को राजसात करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जवाब व साक्ष्य पेश हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर श्री भारत भूषण एडवोकेट द्वारा दिनांक 18.11. 6 को वकालत नामा पेश किया गया ...

विभागीय पैरोकार को सुना गया उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों की ओर यालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के सिलेण्डर्स, डीजल, पेट्रोल व केरोसीन आदि के क्रय, विक्रय तथा भण्डारण संबंधी कार्य के उक्त आदेशों की उल्लंघना की है अतः जब्त शुदा घरेलु गैस सिलेण्डर, सिन,डीजल, पैट्रोल व अन्य सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावें।

सुयोग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रत्युतर में अंकित्त तथ्यों को दोहराया व कार्यवाही प्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी का प्रथम तर्क है कि जब्त किये सिलेण्डर प्रार्थी के परिवार व आस पडौस के व्यक्तियों के हैं माने जाने योग्य नहीं हैं ी अधिक संख्या में पडौसियों के सिलेण्डर दुकान पर रखा जाना सन्देह की स्थिति न्न करता है इस संबंध में पडौसियों के शपथ पत्र पेश हैं लेकिन उन्हे न्यायालय में पेश परीक्षित नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार 110 लीटर डीजल व 25 लीटर पैट्रोल के ध में उनका तर्क है कि डीजल खेती के कार्य हेतु व पैट्रोल मोटर साईकल हेतु रखा था माने जाने योग्य नहीं है पैट्रोल व डीजल दुकान पर रखा पाया गया है तथा माप रखे हुए हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा नीला कैरोसिन बरामद होना नहीं बताया है लेकिन लीटर नीला कैरोसिन मुताबिक फर्द गवाहान की मौजूदगी में बरामद किया गया है उनके हस्ताक्षर हैं स्वयं अप्रार्थी सुरेन्द्र के भी हस्ताक्षर हैं।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर पाया गया कि अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैद्य ज्ञापत्र के गैस सिलेण्डर्स, डीजल, पेट्रोल व केरोसीन आदि के क्रय, विक्रय तथा डारण संबंधी कार्य करके राजस्थान सरकार के राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्टस सेसिंग व कंट्रोल) आदेश 1990 के क्लोज 3 व **LPG (REGULATION OF SUPPLY D DISTRIBUTION) ORDER 2000** के क्लाज 3,4,6 व 7 तथा राजस्थान खाद्यान एव आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3(2) की स्पष्ट हेलना की है। अतः सीज शुदा 22 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर (16 बीपीसी, 3

डेन व 3 एचपी– जिसमें 15 भरे व 7 खाली) 400 लीटर नीला केरोसीन (मय दो लोहे के) 110लीटर डीजल व 25 लीटर पेट्रोल (मय4 प्लास्टिक केन, 2 लोहे की कीप व 2 , 10 व 5 लीटर क्षमता)को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्री गंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। वली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
श्रीगंगानगर

क्रमांक – 3077 दि० 30.10.17

प्रति – जिला रसद अधिकारी – श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना कर अवगत करावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर